तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **लक्ष्मण बनाम कैलाश चन्द अग्रवाल** **322/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00277)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
14.08.18	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित उनकी बहस प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पर सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "ख" (3) के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई जबकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "ख" के विरूद्ध प्रस्तुत अपील की सुनवाई के अधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील पर न्यायालय हाजा के स्तर पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलान्ट न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नही होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (टी0रविकान्त) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	